

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ ज्येष्ठ 13, 1937

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015/ JYAISTHA 13, 1937

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2015

का.नि.आ. 8(अ).—केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (1) का खंड (ख) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने पर कि खासयोल छावनी के प्रशासन के लिए, जहां फेरफार किए गए छावनी परिषद् का कार्यकाल 05 जून, 2015 को समाप्त होगा, में किए गए फेरफार को बनाए रखना वांछनीय है, कार्यालय खासयोल छावनी परिषद् में किए गए फेरफार की अवधि को आगे एक वर्ष 06 जून 2015 से 05 जून 2016 अथवा छावनी परिषद् के पुनः गठन होने की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, पदावधि बढ़ाए जाने की घोषणा करती है।

[फा. सं. 14(2)/2012-डी (क्यू एंड सी) वॉल-II]

दीपक अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2015

S.R.O. 8(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, on being satisfied that for the administration of the Khasyol Cantonment, it is desirable to keep the Constitution of the Khasyol Cantonment Board varied, where the term of the varied Board shall expire on 5th June, 2015, hereby makes a declaration to extend the term of office of the said Board for a further period of one year from 6th June, 2015 to 5th June, 2016 or till the date of Constitution of the Board, whichever is earlier.

[F. No. 14(2)/2012-D(Q&C)Vol-II]

DEEPAK ANURAG, Jt. Secy.